

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की
धारा-4 (1) ख (7)

मैनुअल संख्या-7

पॉलिसी निर्माण या उसके लागू करने से सम्बन्धित प्रचलित व्यवस्था
का विवरण

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583-ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001 को डाक द्वारा या टैलीफैक्स नम्बर 0135-2522941 या ई-मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें ।

मैनुअल-7

पॉलिसी निर्माण या उसके लागू करने से सम्बन्धित प्रचलित व्यवस्था का विवरण

ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड) एक कार्यदायी संस्था है तथा इसकी पालिसी/कार्यप्रणाली लोक निर्माण विभाग, एन0एच0ए0आई एवं अन्य निर्माण एजेंसियों के आधार पर तैयार की जाती रही है। बोर्ड ऑफ डारेक्टरर्स द्वारा वर्तमान प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिये जा रहे हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था में यहाँ लोक निर्माण विभाग एवं NHAI की कार्यप्रणाली प्रचलित है। अतः आंतरिक नीति-नियमों को बनाने से पूर्व जनता के प्रतिनिधियों से सलाह लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। निगम की समस्त नीतियों का आधार शासकीय नियम ही है।